

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 जून 2016—ज्येष्ठ 11, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय द्वारा राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में संलग्न सूची अनुसार संशोधन किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

1. प्रकाशित अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 9 में संशोधन किया जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार होंगी:—

क्र. (1)	गतिविधि (2)	खरीफ (3)	रबी (4)
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितम्बर से 15 जनवरी
2	किसानों के खातों से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि Debit from farmers account.	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितम्बर से 15 जनवरी
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र/प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	ऋणी हेतु 31 अगस्त एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 अगस्त.	ऋणी हेतु 31 जनवरी एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 जनवरी.
4	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी साफ्टकापी फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 जनवरी.
5	फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि (संबंधित अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा शासन की वेबसाईड पर आंकड़े अपलोड किये जायेंगे).	31 जनवरी समस्त फसलों हेतु एवं तुअर कपास हेतु 31 मई.	30 जून
6	अंतिम दावा वितरण	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अन्दर	

2. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत निर्धारित जिलों के 5 समूह (क्लस्टर) में निम्नानुसार बीमा कम्पनियां क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगी. निम्नानुसार क्लस्टरों के समक्ष दर्शाई गई बीमा कम्पनियां संबंधित क्लस्टर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका, राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्देशों, राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तथा राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार फसल बीमांकन का कार्य करेगी:—

क्लस्टर (1)	संभाग (2)	जिले (3)	नियत क्रियान्वयन एजेन्सी (4)
ए	उज्जैन, शहडोल	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया.	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड
बी	इंदौर, नर्मदापुरम	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल.	ए.आई.सी.ऑफ इण्डिया
सी	सागर, ग्वालियर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर.	एच.डी.एफ.सी. इरगो
डी	जबलपुर, रीवा	जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली.	ए.आई.सी.ऑफ इण्डिया
ई	भोपाल, चंबल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर कलां, भिण्ड.	ए.आई.सी.ऑफ इण्डिया

3. प्रकाशित अधिसूचना राजपत्र क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 के बिन्दु क्र. 11, 12 तथा 13 में अंकित "9 (i)", "9-ii", "9-iii" को क्रमशः "10-(i)", "10-ii", "10-iii" पढ़ा जावे.